

प्रेषक,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्रांक २२४ / लघु सीमान्तफसल ऋण मोचन/2017.18/दिनांक 10/7/17

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन व सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना लागू की गई है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में जिला स्तर पर दिनांक 29.06.2017 एवं 01.07.2017 तथा 03.07.2017 जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।

जिला ग्रामीण बैंक प्रबन्धक सिडीकेट बैंक समन्वयकों का एक व्हाटस एवं गुप (DCC) GHAZIABAD के नाम से बनाया गया है जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया गया है।

- | | |
|---|---------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सचिव |
| 3. जिला कृषि अधिकारी | सहसचिव |
| 4. उपकृषि निदेशक | सदस्य |
| 5. अपर जिलामजिस्टेट | सदस्य |
| 6. अग्रणी जिला प्रबन्धक | सदस्य |
| 7. सहायक निबन्धक/आयुक्त सहकारी समितियों | सदस्य |
| 8. महा प्रबन्धक सहकारी बैंक | सदस्य |
| 9. जिला समन्वयक सहकारी बैंक गाजियाबाद | सदस्य |
| 10. जिला गन्ना अधिकारी | सदस्य |
| 11. जिला उद्यान अधिकारी | सदस्य |
| 12. जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
| 13. जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
| 14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी | सदस्य |

भवदीय,

(मिनीस्ती एस)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद

पृष्ठांकन सं०
प्रतिलिपि-

दिनांक उक्त

1. आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल मेरठ ।
2. प्रमुख सचिव कृषि को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव वित्त को सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त को सूचनार्थ ।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद